

c vnkyl i mtk vf/kdkjh ½g0i 0½ l gk; d l ekgrkz i fke Js kh] rgl hy dkMk]
ftyk dkMk ½g0i 0½

मिसल नं० निशानदेही तारीख पेशी
176/2022/तह० (Old) 24-04-2025
68/2024/तह० (New)

रविन्द्र कुमार बनाम धर्म चन्द आदि।

प्रार्थना-पत्र निशानदेही जेर धारा 107 हि०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, बाबत भूमि खाता नं० 48, खतौनी नं० 81, खसरा नम्बरान 879/81, 884/82, 871/740/119, 868/698/148, 875/749/159, 889/397, 399, 894/552, 902/553, 903/571, कित्ता 10, रकबा 0-26-64 हैक्टेयर, स्थित महाल वल्ला, पटवार वृत्त मटौर, जमाबन्दी साल 2017-18, तहसील व जिला कांगड़ा।

इशतहार/मुश्री मुनादी।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थीगण धर्म चन्द पुत्र पांजलू, कृष्ण चन्द पुत्र पांजलू, अशोक कुमार, सुभाष चन्द, श्याम लाल उपनाम पुनीत कुमार, रमेश चन्द, अनिक कुमार पुत्र काली दास समस्त निवासी महाल पुराना मटौर, डा० नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा तामील करवाई की जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-04-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस निशानदेही बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
पूजा अधिकारी (हि०प्र०से०),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

c vnkyl i mtk vf/kdkjh ½g0i 0½ l gk; d l ekgrkz i fke Js kh] rgl hy dkMk]
ftyk dkMk ½g0i 0½

मिसल नं० निशानदेही तारीख पेशी
27/2023/तह० 02-04-2025

सुरिन्द्र कुमार बनाम विरेन्द्र कुमार आदि।

प्रार्थना-पत्र निशानदेही जेर धारा 107 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, बाबत भूमि खाता नं0 58, खतौनी नं0 93, खसरा नम्बरान 250/2, 251, कित्ता 2, रकबा 0-04-42 हैक्टेयर, स्थित महाल व मौजा खोली, पटवार वृत्त खोली, जमाबन्दी साल 2019-20, तहसील व जिला कांगड़ा।

इशतहार/मुशत्री मुनादी।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थीगण विरेन्द्र कुमार, विजय कुमार, अनिल कुमार, तेजिन्दर पाल पुत्र हरि चन्द, सुरेश कुमार पुत्र जैसी राम समस्त निवासी गांव व डा0 खोली, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इशतहार/मुशत्री मुनादी द्वारा तामील करवाई की जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 02-04-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस निशानदेही बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

c vnkyl i wtk vf/kdkjh ½g0i 0l 0½ l gk; d l ekgrkz i Fke Js kh] rgl hy dkxMk]
ftyk dkxMk ½g0i 0½

मिसल नं0 तहसीम तारीख पेशी
77 / 2024 / तह0 25-04-2025

जीवन लाल बनाम रमेश चन्द आदि।

प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, बाबत भूमि खाता नं0 1, खतौनी नं0 1, खसरा नम्बरान 1531/8, 24, 25, 26, 30, 1569/46, 1571/47, 1574/48, 82, 84, 85, 86, 96 कित्ता 14, रकबा 0-97-43 हैक्टेयर, स्थित महाल खर्ती, पटवार वृत्त नंदरूल, जमाबन्दी साल 2020-21, तहसील व जिला कांगड़ा।

इशतहार/मुशत्री मुनादी।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थीगण रमेश चन्द पुत्र गुरदास पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल खर्ती, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इशतहार/मुशत्री मुनादी द्वारा तामील करवाई की जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 25-04-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
